मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई–5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 3585 स्था/प्रनिबो/ 2016 भोपाल, दिनांक 28-9-16

-: कार्यालय आदेश :-

मध्य प्रदेश में भवन/आवासीय कॉम्पलेक्स निर्माण अन्तर्गत आने वाली ऐसी परियोजनायें जिनके द्वारा बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25(1)(ए) अनुसार बिना स्थापना सम्मति प्राप्त किये स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है, के विरूद्ध जल अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालयीन वाद दायर उपरांत जल अधिनियम 1974 की धारा 25(5) के अन्तर्गत स्थापना सम्मति पर निर्णय लिया जाये।

मध्य प्रदेश में भवन/आवासीय कॉम्पलेक्स निर्माण अन्तर्गत आने वाली ऐसी परियोजनायें जिनके द्वारा बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25(1)(ए) अनुसार बिना संचालन सम्मति प्राप्त किये परियोजना का संचालन प्रारम्भ किया गया है, ऐसे संस्थान के विरूद्ध जल अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालयीन वाद उपरांत स्थापना सम्मति शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरांत ही जल अधिनियम के अन्तर्गत संचालन सम्मति पर निर्णय लिया जाये।

ऐसे संस्थान जो ईआईए नोटिफिकेशन 14 सितम्बर 2006 अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति के दायरे में आते हैं, उनकी सूची पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के आंचलिक कार्यालय भोपाल/एम.पी. एसईआईएए को आवश्यक कार्यवाही हेतु 15 दिवस में उपलब्ध कराई जाये ।

(ए०के० मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ.क. स्था/प्रनिबो/2016 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष/सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
2. समस्त शाखा प्रभारी, मुख्यालय भोपाल एवं समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. आर्डर बुक/गार्ड फाईल/आईटी शाखा